



क्रमांक 518 /बै.प्र./विद्यापरिषद/2023.

बिलासपुर, दिनांक :06.02.2023

॥ शुद्धि पत्र ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 512/बै.प्र./विद्यापरिषद/2023 बिलासपुर दिनांक 06.02.2023 के द्वारा विद्यापरिषद में विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सदस्य नामित किये जाने की सूचना प्रसारित की गई है।

उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13(1)(v) संशोधित विभिन्न अध्ययनशालाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए कुलपति द्वारा नामित 05 प्रोफेसर (जो अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता या विभाग/केन्द्र के अध्यक्ष न हों) के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम 13(1)(vi) कुलपति द्वारा नामित सह-आचार्य टंकित हो गया है।

इस टंकण त्रुटि को सुधार करते हुए इसे निम्नानुसार पढ़ा जाय :-

1. **13(1)(v)** कुलपति द्वारा नामित आचार्य

1. प्रो० रश्मि अग्रवाल, आचार्य, वानिकी विभाग
के स्थान पर

प्रो० व्ही.एस. राठौर, आचार्य, शारिक शिक्षा विभाग

उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल विद्यापरिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 519 /बै.प्र./ विद्यापरिषद/2023

बिलासपुर, दिनांक :06.02.2023

प्रतिलिपि :-

05. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
06. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
08. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)